डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत .... **उपखण्ड अधिकारी सैंथल**........................... मुकाम..................**दौसा**.....
..

ब इजलास.................................... **सुश्री अमृता खण्डेलवाल, आर.ए.एस.** ....
.... **गीता** .... बनाम........................... **महावीर वगै.**

दावा बाबत.... **स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नं. **67**.....सन्.......**2022**

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू.... **सुश्री अमृता खण्डेलवाल, आर.ए.एस.** व हाजिरी.................................. मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................................. मिनजानिब व मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित किया जाता है कि ग्राम मालियान ढाणी तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा में स्थित वादी नंबर 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 834 रकबा 0.5200 है० व वादी नंबर 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नबंर 830 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 832 रकबा 0.6000 है० में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल मदालखत पैदा करने से जबरन लठ के बल पर उक्त भूमि में पक्का निर्माण करने, रास्ता निकालने व वादी को किसी प्रकार का नुकसान करने से स्वयं प्रतिवादीगण एवं अपने परिवारजन, रिश्तेदार, मित्र हितैषी, नौकर चाकर एजेन्ट एवं हर प्रकार से हमेशा हमेशा के प्रतिबंधित रहें। तद्नुसार डिकी जारी हो।

निज.. मुबलिग... बाबत..
....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से, तारीख अदायगी तक.. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **06**.....माह.......**03**...सन् .....**2026**......को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.......................................

ओहदा..

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

उनवान

1. गीता देवी पत्नि जगदीश प्रसाद गुप्ता
2. जगदीश पुत्र रामधन

   समस्त जाति महाजन निवासी काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. महावीर पुत्र छीतरमल
2. नानगराम पुत्र छीतरमल
3. विनोद पुत्र छीतरमल
4. राकेश पुत्र छीतरमल
5. छीतरमल पुत्र मूलचन्द

   समस्त जाति माली निवासी काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा।

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

प्रकरण संख्या : 67 / 2022
गीता बनाम महावीर
निर्णय दिनांक : 06.03.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	सुश्री अमृता खण्डेलवाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	67 / 2022
दायर दिनांक	:	13.10.2022
निर्णय दिनांक	:	06.03.2026

1. गीता देवी पत्नि जगदीश प्रसाद गुप्ता
2. जगदीश पुत्र रामधन
   समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा राजस्थान

वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र छीतरमल
2. नानगराम पुत्र छीतरमल
3. विनोद पुत्र छीतरमल
4. राकेश पुत्र छीतरमल
5. छीतरमल पुत्र मूलचन्द
   समस्त जाति माली निवासी काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता : श्री विनोद कुमार विजय एडवोकेट

–: निर्णय :–

उक्त वाद में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार हैं कि – वादीगण ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल जिला दौसा के निवासी है। वाके ग्राम मालियान ढाणी पटवार हल्का काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा में वादी नंबर 1 की

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 834 रकबा 0.5200 है० व वादी नंबर 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नबंर 830 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 832 रकबा 0.6000 है० स्थित है। वादीगण पति पत्नि है तथा उक्त भूमि पर मौके पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व आज भी मौके पर वादीगण काबिज है वादीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण को कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण लाठी के बल पर वादीगण की उक्त भूमि में जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य करना चाहते है तथा उक्त भूमि पर से वादीगण को मौके से बेदखल करना चाहते है तथा जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करके और निर्माण कार्य करना चाहते है व जबरन उक्त भूमि में होकर रास्ता बनाना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को काई अधिकार नहीं है दिनांक 21.12.2020 को वादीनी नंबर 1 अपनी भूमि पर थी कि प्रतिवादीगण अपने साथ अनेको व्यक्तियों को लेकर और मौके पर आ गये और वादीनी नंबर 1 को धमकी दी कि या तो तुम उक्त भूमि को सम्पूर्ण रकबे को हमें विक्रय कर दो अन्यथा हम उक्त भूमि से तुम्हे बेदखल करेंगे तथा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य करेंगे तथा जबरन तुम्हारी उक्त भूमि में होकर रास्ता बनायेगें वादीनी नंबर 1 ने प्रतिवादीगण से कहा कि तुम्हारा हमारी भूमि से क्या लेना देना है तुम मेरी भूमि से मुझे बेदखल कैसे कर सकते हो तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम उक्त भूमि में होकर रास्ता बनायेगें व तुम्हे बेदखल करेंगे और उक्त भूमि में निर्माण कार्य करेंगे करना हो सो का लेना अतः बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हो गया। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करे कि वाके ग्राम मालियान की ढाणी पटवार हल्का काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा में वादी नंबर 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नबंर 834 रकबा 0.5200 है0 व वादी नंबर 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 830 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 832 रकबा 0.6000 है0 के कब्जे वादीगण में प्रतिवादीगण स्वयं अपने नौकरों रिश्तेदारों से कोई दखल नहीं पहुचावे व उक्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें व उक्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करके कोई निर्माण कार्य न ही करें एवं उक्त भूमि में होकर कोई जबरन रास्ता आदि नहीं बनावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 उपस्थित नहीं आये ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये इसलिए प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 के विरूद्ध 10-02-2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वाद पत्र की बहस एकतरफा वादी अधिवक्ता से सुनी गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में पी डब्ल्यू-1 गवाह वादी गीता देवी का स्वयं का शपथ पत्र, पी डब्ल्यू-2 वादी जगदीश का स्वयं का शपथ पत्र पेश किये

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

प्रकरण संख्या : 67/2022
गीता बनाम महावीर
निर्णय दिनांक : 06.03.2026

न्यायालय द्वारा पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत वादी द्वारा परस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वादी एकतरफा सुनी गई। वादी द्वार उक्त वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है चूंकि वादी ने न्यायालय में प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने एवं किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने के लिए पाबन्द करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित किया जाता है कि वाके ग्राम मालियान ढाणी पटवार हल्का काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा में स्थित वादी नंबर 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 834 रकबा 0.5200 है॰ व वादी नंबर 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नबंर 830 रकबा 0.0300 है0, खसरा नंबर 832 रकबा 0.6000 है॰ वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल करने से जबरन लठ के बल पर उक्त भूमि में पक्का निर्माण करने, जबरन रास्ता निकालने व वादी को किसी प्रकार नुकसान करने से स्वयं प्रतिवादीगण एवं अपने परिवारजन, रिश्तेदार, मित्र हितैषी, नौकर चाकर एजेन्ट एवं हर प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंधित रहें। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

प्रकरण फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री अमृता खण्डेलवाल)
उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल